अनुसूची 14 फारम संख्या 562

न्यायलय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर- सरिया, गिरिडीह

आदेश पत्रक

आलम इसराइल शेख ....प्रथम पक्ष

पक्ष

बनाम

भोला मांझी वगैरह ....द्वितीय पक्ष

देखे अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक ता० ....से ....तक

जिला गिरिडीह।

विविध वाद संख्या ....113....सन् 2021

धारा 144 द०प्र०सं०

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
24/07/21	आवेदक आलम इसराइल शेख वल्द इसराईल शेख, साकिन- अरगुंडे, थाना- बगोदर, जिला- गिरिडीह द्वारा आवेदन दाखिल किया गया है कि प्रथम पक्ष (आवेदक) को केवाला प्राप्त भूमि पर विपक्षी के सदस्यगण बल पूर्वक अवै. बाँस- बल्ली से घेरकर जोत- कोड़ करने एवं चारदिवारी देने का प्रयास कर रहे हैं तथा मारपीट के लिये उतारू हो जाते हैं। आवेदक के आवेदन एवं दाखिल दस्तावेजों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि निम्नांकित भूमि के कब्जे को लेकर उभय पक्षों के बीच तनाव बना हुआ है जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है, इसकी रोकथाम करने की आवश्यकता मैं महसूस करता हूँ। अतः दाखिल आवेदन	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	एवं कागजातों से संतुष्ट होकर मैं निम्नांकित भूमि पर द.प्र.सं० की धारा-144 के अंतर्गत कार्यवाई, प्रारम्भ करता हूँ तथा उभय पक्षों को प्रश्नगत भूमि पर जाने से निषेध करता हूँ :- मौजा - नरपुरे, थाना - बगोदर खाता - 101, 109, 218 प्लाट - 5427, 5428, 5426 रकबा - क्रमश: 25 डी., 23 डी. एवं 15 डी. कुल - 63 डी. चौहद्दी उ० - शेख मकबूल द० - रास्ता पू० - भोलानी लाल प० - मुस्तकीम उभय पक्षों से कारण पृच्छा नोटिस/ अभिलेख दिनांक 5/08/21 को उपस्थापित करें। ह० अपठनीय SDM, Bagodar-Sariya.	

(3)

03/08/21 अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष उपस्थित। File S/C.

To 24/08/21

24/08/21 अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। आगामी तिथि तक अनिवार्य रूप से S/C दाखिल करें।

To 9/09/21

09/09/21 प्रथम पक्ष अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष उपस्थित। अभिलेख 16/09/21 को पेश।

अतुल ...

16/09/21 प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष के द्वारा कारणपृच्छा दाखिल किया गया है। पृच्छापत्र बाद प्रथम पक्ष के आवेदन के आलोक में प्रारम्भ किया गया। प्रथम पक्ष के अनुसार उन्हें प्रक्रिया की भूमि प्रथम पक्ष के माता सुनियरा पति मोहम्मद इसराईल के नाम पर बजरिये केवाला सं०-5, दिनांक- 02/01/1984

आदे. की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	से हासिल है। खरीददारी के पश्चात उक्त भूमि का नामांतरण करवा कर अद्यतन लगान राज्य सरकार को देते आ रहे हैं। द्वितीय पक्ष के सदस्यगण बल पूर्वक उक्त जमीन पर बोस-बल्ली से घेरकर जोत-कोड़ करने एवं चारदिवारी देने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। अतः प्रक्रिया की भूमि पर द्वितीय पक्ष को प्रतिबंधित करने की आवश्यकता है। प्रथम पक्ष ने अपने दावे के समर्थन में निबंधित विक्रय पत्र की छाया प्रति एवं अद्यतन लगान रसीद (2020-21) की प्रति दाखिल किया गया है। द्वितीय पक्ष द्वारा कारण पृच्छा दाखिल किया गया है। प्रक्रिया की भूमि द्वितीय पक्ष का सर्वे खतियानी भूमि है तथा तीनों खतियान के धारक द्वारा किसी तरह का खरीद-बिक्री प्रथम पक्ष के साथ नहीं किये हैं। द्वितीय पक्ष का सर्वे खतियान खाता- 218, प्लाट- 5426, रकबा- 15 डी. लालो माली के नाम से दर्ज है जिसकी जमाबंदी अंचल	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	कार्यालय में चल रही है। सर्वे खाता-109, नाथु माली के नाम खतियान में दर्ज है जिसकी जमाबंदी नाथु माली के नाम पर चल रही है। सर्वे खाता सं०-101, प्लाट-5427, की जमाबंदी दुखी माली, सोमा माली के नाम से कायम है। द्वितीय पक्ष के पूर्वज के द्वारा किसी के साथ खरीद-बिक्री नहीं किये हैं। प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष की भूमि को हड़पने हेतु यह वाद लाये हैं जो खारिज करने योग्य है। द्वितीय पक्ष के द्वारा अपने दावे के समर्थन में खतियान की छाया प्रति तथा वर्ष 2012-13 का राजस्व लगान रसीद की छाया प्रति दाखिल किया गया है। उभय पक्ष द्वारा दाखिल कागजात पृच्छा एवं दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रथम पक्ष को पुश्तैनी भूमि निबंधित केवाला से प्राप्त है तथा नामांतरण के पश्चात अद्यतन लगान रसीद निर्गत है। नामांतरण के सम्बन्ध में द्वितीय पक्ष के द्वारा कोई अपील भी ~~दाखिल~~ दायर नहीं किया गया है तथा लगभग 10 वर्ष का राजस्व रसीद	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	दाखिल किया गया है। ~~[illegible]~~ अतः प्रक्रिया की भूमि पर नोटिस निर्गत करने की तिथि से साठ दिनों के लिये द्वितीय पक्ष को प्रतिबंधित किया जाता है ~~तथा~~ प्रथम पक्ष के वाद को ~~[illegible]~~ खारिज किया जाता है। जहाँ तक द्वितीय पक्ष का यह दावा कि विक्रय पत्र फर्जी है, इसके लिये सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं। उक्त विवेचन के साथ इस वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है। 16/09/21 SDM	

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2021.09.24 12:38:31 +05:30
Location: 192.168.43.238